न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 2908/2025

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1181/2025

CNR No. UPGZ010064182026

दिनेश कुमार उर्फ दिनेश दयाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी 447 ब्लॉक एफ–2 एमसीडी क्वार्टर सुन्दर नगरी, नन्दनगरी उत्तर पूवी दिल्ली।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 275/2023

धारा 420,406,120B भा०द०सं०

थाना लिंकरोड़, गाजियाबाद।

18–06–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **दिनेश कुमार उर्फ दिनेश दयाल** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सं० 1 व 2 मै० दी वालनट इन्फ्राटेक प्रा० लि० के अन्तर्गत आवासीय व व्यावसायिक प्रोजेक्ट में बतौर बिल्ड डेवलपर्स कॉलोनाईजर्स व प्रमोटर के रूप में व्यवसाय चलाते है। उपरोक्त कम्पनी का CIN No. U70102DL2012PTC239001 हैं और उपरोक्त कम्पनी के दैनिक कार्यो से जुडे सारी जबावदेही अभियुक्त सं० 2 व 3 की है। अभियुक्त सं० 1 से 3 का पिछला आपराधिक रिकार्ड है। जिन पर गुरूग्राम में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त सं० 4 जोकि एक ब्रोकर है और उसने शिकायकर्ता से वर्ष 2012 में सम्पर्क किया और शिकायकर्ता को प्रलोभन दिया कि निमराना के प्रमुख स्थान पर The Araville City के नाम से आवासीय घरो के निर्माण का एक प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई है जो करीब एक लाख स्क्वायर मीटर्स में अभियुक्त सं० 2 व 3 के द्वारा निर्माण करायी जाएगी और इस प्रोजेक्ट का भविष्य बहुत ही बेहतर साबित होगा। अभियुक्त सं० 4 द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी को बार–बार प्रलोभन भरी बाते बताता रहा तब अंततः शिकायकर्ता उक्त प्रोजेक्ट के ब्लॉक डी में यूनिट संख्य 11 को बुक करा लिया और पेमेंट प्लान के अनुसार शिकायकर्ता की पत्नी श्रीमती डेजी अग्रवाल ने अपने आवास पर अग्रिम

Digitally signed by LALITA GUPTA
Date: 2026.06.24 10:07:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बुकिंग राशि चेक संख्या 740502 व 740471 दिनांक 11–08–2012 जो कुल अंकन 83700/–रूपये दी। तत्पश्चात शिकायकर्ता व उसकी पत्नी उक्त प्रोजेक्ट में पहली किश्त के रूप में कुल अंकन 3,24,338/–रूपये पीएलसी चार्ज सहित चेक संख्या 740477 व 837938 दिनांक 17–10–2012 दिया गया। उक्त प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 4,08,038/– रुपये (कुल चार लाख आठ हजार अड़तीस रुपये मात्र) दे दिया था। यहां यह बता देना उचित होगा कि उपरोक्त सभी अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता को आश्वासन व वचन दिया था कि वह उसके द्वारा बुक कराये गये उपरोक्त यूनिट को समय पर निर्माण कराकर उसे उसका कब्जा सौंप देंगे। शुरुआत में जब शिकायतकर्ता उपरोक्त अभियुक्तों के प्रोजेक्ट में अपने लिये एक यूनिट बुक करायी थी तो वह उस जगह पर गया था जहां पर सिर्फ प्लॉटिंग थी व एक साईट ऑफिस मौजूद था। जब वह करीब 3–4 साल बाद फिर से उस जगह पर गया और जब अभियुक्त संख्या 4 ने शिकायतकर्ता को बताया कि उपरोक्त साइट से अब यहां से इसी इलाके के दुसरी जगह राठ इंटरनेशनल स्कूल नीमराना के पास स्थानान्तरित हो गया है। इस बात को देखकर शिकायतकर्ता स्तब्ध व आश्चर्य चकित हो गया यहां यह बात कहना उचित होगा की साइट को स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित पूर्व में कोई सूचना उसे नहीं दी थी और ऐसा करके उन लोगों ने शिकायतकर्ता की खुन–पसीने की कमाई के पैसे लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। अभियुक्तों की अवैध मांगों को मानने के अलावा शिकायतकर्ता के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। शिकायतकर्ता इस जमीन के बेहतर भविष्य की आशा के साथ अभियुक्त संख्या 4 द्वारा दिये गये वचन कि उक्त साईट पर समय पर निर्माण कार्य होकर कब्जा सौपा जायेगा, शिकायतकर्ता विश्वास कर सहमत हो गया। वर्ष 2019 में अभियुक्तगण ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर बकाया पैसों की मांग करने लगे। मगर, वर्ष 2019 में जब शिकायतकर्ता फिर से उक्त साईट का निरीक्षण किया तो वह फिर से वहां की हालत देखकर अचम्बित हो गया। वहां सिर्फ खाली जमीन जो बिना किसी गेट, बिना सिक्योरिटी गार्ड व अन्य सुविधाओं से विहीन था। वर्ष 2022 में वह फिर से उक्त साइट का निरीक्षण करने गया तो देखा कि ना कोई बिजली का पोल है, ना सीवर लाईन है और ना ही किसी अन्य प्रकार का कोई विकास अभियुक्त द्वारा कराया गया है। तब शिकायतकर्ता को एससास हुआ कि उसने गलत प्रोजेक्ट में अपने मेहनत के पैसे लगा दिये हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। जब शिकायतकर्ता यहां के स्थानीय लोग जो वहां पर उपस्थित थे, उनसे पूछताछ की तो उन्होने बताया कि बेहरोर, राजस्थान के नजदीक के स्थान जहां पर अभियुक्तो ने शुरुआत में प्रोजेक्ट का निर्माण करने का वादा किया था ये सारे जगह सरकार द्वारा "शैक्षणिक संस्थान बनाने के उददेश्य से लोगों को आवंटित किया है ना कि किसी आवासीय उद्देश्य से और अभियुक्तों द्वारा उक्त साईट पर निर्माण व विकास कार्य से संबंधित कोई कदम नहीं उठाये गये है इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने RTI भी लगाई है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अभियुक्त संख्या 4 ने अभियुक्त संख्या 2 व 3 जो अभियुक्त संख्या 1 के डायरेक्टर हैं, के साथ षड्यंत्र रचकर बेईमानी के इरादे से शिकायतकर्तों व उसके जैसे अन्य निर्दोष व मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी करके गलत तरीके से उनको आर्थिक हानि

व अपने लिए गलत तरीके से आर्थिक लाभ उठाने का कार्य किया है तथा शिकायतकर्ता के साथ बेइमानी से धोखाधड़ी करके कुल 4,08,038/– रुपये (कुल चार लाख आठ हजार अडतीस रुपये मात्र) का गबन किया है। अभियुक्तो के आचरण व नियत को देखकर शिकायतकर्तों पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया । उसके बाद शिकायतकर्ता अभियुक्तो को फोन किया और ये सारी बाते बतायी और अपने द्वारा दिये गये मेहनत के पैसों जो शिकायतकर्तों उनके प्रोजेक्ट में निवेश किया था, उसे लौटाने को कहा जिस पर अभियुक्त ने देने से इन्कार कर दिया और उल्टा शिकायतकर्ता को बकाया पैसे देने का दबाव बनाने लगे। जब शिकायतकर्ता 28.02.23 को Whatsapp पर अभियुक्त संख्या 4 से नई जगह स्थानांतरित हुए साईट के दस्तावेज व दस्तावेजों की पूरी श्रंखलाओं की मांग की तो अभियुक्त संख्या 4 ने उसको अभियुक्त संख्या 2 द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित हुए पंजीकृत सेल डीड की फोटो भेजी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त संख्या 1 के नाम पर बुकिंग राशि भेजी है और अभियुक्त संख्या 2 व 3 के आचरण कानून संगत नहीं हैं। अभियुक्त संख्या 4 ने Whatsapp पर अपनी ऑडियो रिकार्डिंग 02.03.23 को भेजी जिसके अनुसार वह "शिकायतकर्ता को पैसा देने के लिये मज़बूर करता है और पुरानी जगह के बदले नयी जगह ज्यादा पैसे देकर प्लाट लेने को बोलता है।" अभियुक्त संख्या 4 द्वारा दिये गये जवाब से जब शिकायतकर्ता असंतुष्ट था तो उसने फिर से अभियुक्तों से अपने दिये हुए पैसों की मांग की जिसे अभियुक्त ने देने से इंकार कर दिया और उसके बाद अभियुक्तों ने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। दिनांक 10 मार्च 2023 शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के ई–मेल किया और पैसो की मांग की। दिनांक 15 मार्च 2023 को उसने याद दिलाने के लिए एक ई–मेल और किया परंतु अभियुक्तगण ने उसको फिर से नजरअंदाज कर दिया। अभियुक्तों के इस अमानवीय व्यवहार के कारण शिकायतकर्ता अंदर से पूरी तरह टूट चुका हैं। शिकायतकर्ता के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण दिनांक 23.03.2023 और 28. 03.23 अपने अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्तों को एक कानूनी मांग नोटिस भेजा। मगर, अभियुक्तों ने जवाब ना तो दूर मेरी मांगों पर अभी तक किसी भी प्रकार कोई प्रतिक्रिया तक देना मुनासिब नहीं समझा। शिकायकर्ता कंपनी ने दिनांक 07.05.2023 को एक शिकायत–पत्र थानाध्यक्ष व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को की थी परन्तु आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए उसमें उल्लिखित आधारो का वर्णन कर मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 वर्ष विलम्ब से दर्ज कराई गई हैं, परन्तु विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का वादी के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ हैं जो भी पैसा का लेन देन हुआ है वह अभियुक्तगण सं० 1 ता 3 के मध्य हुआ हैं। अभियुक्त व वादी दोनो एक साथ प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे। वादी अभियुक्त के आफिस पर बैठकर प्रोपर्टी का कार्य करता था। दोनो ने मिलकन एक प्रोपर्टी सेल की थी

उसमे मिले प्रोफिट को वादी लेकर चला गया था। दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा लिखाया गया हैं। मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. मैंने, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये। केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा व उसकी पत्नी द्वारा सह अभियुक्त की कम्पनी में आवास बुक करते हुए अंकन 4,08,038/- रूपये जमा किये गये, परन्तु सह अभियुक्त की कम्पनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण कराकर वादी व उसकी पत्नी को आवास नहीं दिया गया। धनराशि वापस मांगने पर धमकी दिया जाना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को ब्रोकर होना बताया है। सह अभियुक्त कुनालपुरी की अग्रिम जमानत दिनांक 20-11-2025 को इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दिनेश कुमार उर्फ दिनेश दयाल** की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 50,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए-

(i) आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग प्रदान करेगा तथा विवेचक/न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगें,जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(v) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडात्मक कार्यवाहियों का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को तभी रिहा किया जायेगा जब उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

दिनांकः 18-06-2026

(ललिता गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।